

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
आपराधिक अपीलीय अधिकारिता
आपराधिक अपील सं. 1150/ 2019
(एस.एल.पी. (दांडिक) सं. 1523/2019 से उद्धृत)

मौजी राम

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

संबद्ध

आपराधिक अपील सं. 1151-1152/2019
(एस.एल.पी. (दांडिक) सं. 1525-1526/2019 से उद्धृत)

और

आपराधिक अपील सं. 1153-1156/2019
(एस.एल.पी.(दांडिक) सं. 4795-4798 /2019 से उद्धृत)

निर्णय

उद्धोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे

1. अवकाश अनुदत्त।

2. यह अपील दिनांक 17. 01. 2019 को सीआरएमबीए सं. 1859 /2019, दिनांक 24. 01. 2019 को सीआरएमबीए सं. 3574/2019 , दिनांक 29. 01. 2019 सीआरएमबीए सं. 3547/2019 , दिनांक 06. 02. 2019 को सीआरएमबीए सं. 4627/2019, दिनांक 18.02.2019 को सीआरएमबीए सं. 6450/2019, दिनांक 12. 02. 2019 के सीआरएमबीए सं. 10626 /2019 में और दिनांक 26. 03. 2019 के सीआरएमबीए सं. 11793 /2019 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध निर्देशित हैं।

3. इन अपीलों के निपटान के लिए कुछ तथ्यों का उल्लेख यहां किया जाना चाहिए, जिसमें एक संक्षिप्त बिंदु शामिल है।

4. इन सभी अपीलों में प्रत्यर्थी सं. 2, जो है- सुभाष, करतार, सोहन, अमरजीत, सोरन भाटी, लीलू @महेंद्र और आशु @आशीष (कुल - 7), एतस्मिनपश्चात् सामूहिक रूप से 'प्रत्यर्थीगण' के रूप में संदर्भित किया जाता है, भारतीय दंड संहिता, 1860 (एतस्मिनपश्चात् इसे 'आईपीसी' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 147, 148, 149, 302, 120-बी, 307, 323, 506 और 427 के तहत दंडनीय अपराधों के विचारण का सामना कर रहे हैं। जो कि पुलिस स्टेशन

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर (यूपी) में पंजीकृत अपराध सं. 608/2018 से उद्भूत है और I/C सत्र न्यायधीश गौतम बुद्ध नगर के समक्ष B.A. No 5808 of 2018 - UPGB01- 002290 / 2018, B.A. No. 6097 / 2018 - UPGB01 - 003006 / 2018, B.A. No.6295 / 2018- UPGB01 -003536 / 2018, B.A. No.6738 / 2018 - UPGB01 -004693 / 2018 & B.A. No. 6739 / 2018 UPGB01 -004694 / 2018. वाद में लंबित है। इन प्रत्यर्थीगण को सुमित कुमार-पुत्र-अपीलार्थी-शिकायतकर्ता को हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया था

5. उपर्युक्त मुकदमे में सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत देने के लिए आवेदन किए जाने के बाद प्रत्यर्थीगण (आरोपी व्यक्तियों) को गिरफ्तार किया गया। सत्र न्यायधीश ने दिनांकित 20.11.2018 को B.A. No 5808 of 2018 - UPGB01- 002290 / 2018, B.A. No. 6097 / 2018 - UPGB01 - 003006 / 2018, B.A. No.6295 / 2018- UPGB01 -003536 / 2018, B.A. No.6738 / 2018 - UPGB01 -004693 / 2018 & B.A. No. 6739 / 2018 UPGB01 -004694 / 2018. प्रत्यर्थीगण की जमानत आवेदनों को खारिज कर दिया।

6. प्रत्यर्थीगण ने अपने जमानत आवेदनों की अस्वीकृति से व्यथित महसूस किया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एतस्मिनपश्चात् पश्चात् "संहिता" के रूप में संदर्भित

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

किया गया है) की धारा 439 के तहत जमानत आवेदन दाखिल की। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेशों से जमानत आवेदनों की अनुमति दी और तदनुसार सत्र न्यायाधीश की संतुष्टि के लिए उनकी प्रस्तुत सुरक्षा और जमानत बांडों पर जमानत पर प्रत्यर्धीगण को रिहा करने का निर्देश दिया।

7. यह उच्च न्यायालय के इन आदेशों के खिलाफ है, मृतक के पिता ने दुखी महसूस किया है और इन अपीलों को दायर किया है जो कि आक्षेपित आदेशों की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाते हैं।

8. जहां तक राज्य का सवाल है, उन्होंने काउंटर हलफनामा दायर करके अपीलार्थी का समर्थन किया है। प्रत्यर्धीगण (आरोपीयो) को भी सेवा दी जाती है और विधिवत प्रतिनिधित्व किया जाता है।

9. इसलिए, संक्षेप प्रश्न, जो इन अपीलों में विचार के लिए उठता है, यह है कि क्या प्रत्यर्धीगण (अभियुक्तों) को जमानत देने में उच्च न्यायालय उचित था।

10. पक्षकारों के विद्वत अधिवक्ता को सुना।

11. पक्षकारों के विद्वत अधिवक्ता को सुनने और मामले के अभिलेख के अवलोकन पर, हम अपील की अनुमति देने के लिए वाध्य हैं और आक्षेपित आदेशों को अपास्त करते समय प्रत्यर्थियों (अभियुक्त) द्वारा

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

दाखिल जमानत आवेदनों को खारिज कर देते हैं। यह आक्षेपित आदेश निम्नानुसार है:

"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुणों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला लगता है।

बता दें कि आवेदक सुभाष को 2018 के अपराध संख्या 608, आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 506, 427, 307, 302, 120 बी के तहत पुलिस स्टेशन दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर में शामिल होने के लिए जमानत पर, निम्नलिखित शर्तों से संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में प्रत्येक जमानत पर रिहा किया जाएगा।

1. आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. वह अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव / धमकी नहीं देगा और परीक्षण में सहयोग करेगा।
3. वह विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई प्रत्येक तारीख पर पेश होगा जब तक कि संबंधित अदालत द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट नहीं दी जाती है।

ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्रता पर होगा। "

12. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश को पारित करने में न्यायिक त्रुटि की क्योंकि आक्षेपित आदेश को पारित करते समय, उच्च न्यायालय ने कोई कारण नहीं बताया कि किस आधार पर,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

यद्यपि प्रथम दृष्टया प्रकृति का हो, यह उचित और माना जाता है, प्रत्यर्थीगण को जमानत देने के लिए उचित है।

13. बार-बार इस अदालत ने जमानत देते समय कारणों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता पर जोर दिया है (अजय कुमार शर्मा बनाम यू.पी. राज्य एवं अन्य, (2005) 7 एससीसी 507, लोकेश सिंह बनाम यू.पी. राज्य एवं अन्य (2008) 16 एससीसी 753 और दतराम सिंह बनाम यू.पी. राज्य एवं अन्य, (2018) 3 एससीसी 22) देखें। हालांकि अभियोजन पक्ष द्वारा उस स्तर पर बचाव पक्ष द्वारा जोड़े गए पूर्ण साक्ष्य के लिए जमानत देने या खारिज करने के दौरान श्रेणीबद्ध खोज करना आवश्यक नहीं हो सकता है, फिर भी यह उस आदेश के अवलोकन से प्रकट होना चाहिए जो न्यायालय ने जमानत आवेदन पर विचार के समय अभियोजन पक्ष द्वारा दायर सामग्री के प्रकाश में प्रासंगिक तथ्यों के लिए अपना दिमाग लगाया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न तो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून, और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा दायर सामग्री को प्रत्यर्थीगण को जमानत देने पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया था।

14. हमने राज्य और आरोपी व्यक्तियों द्वारा भी दायर संलग्नक के साथ काउंटर हलफनामा, संलग्नक के साथ याचिकाओं का अवलोकन किया है।

उद्धोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

15. एफआईआर का अवलोकन करने और आरोपी व्यक्तियों के पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए जो राज्य द्वारा अपने काउंटर हलफनामे में अभिलेख पर लाए जाते हैं और आगे उस तरीके को ध्यान में रखते हुए जिसमें आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध किया गया था, प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि यह आरोपी व्यक्तियों (यहां सभी अपीलों में प्रत्यर्थी संख्या 2) को जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है। जमानत आवेदन पर विचार करते समय ये कारक प्रासंगिक थे और हमारे विचार में, उन्हें ध्यान में नहीं रखा गया था।

16. प्रत्यर्थीगण (आरोपी व्यक्तियों) के विद्वत अधिवक्ता ने अपील का जोरदार विरोध किया और आग्रह किया कि मामले के अभिलेख से उभरने वाले तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता के संबंध में और तथ्य यह है कि प्रत्यर्थीगण (आरोपी व्यक्तियों) ने अनुदान की किसी भी शर्त का आज तक जमानत का उल्लंघन नहीं किया है, इस न्यायालय को प्रत्यर्थीगण को जमानत देने वाले आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

17. हम इस कथन से सहमत नहीं हैं। हमारे विचार में, मामले के पूरे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, यह उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण (आरोपी व्यक्तियों) को जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं था। इसलिए, हमारी राय में, सत्र न्यायाधीश, प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर जमानत आवेदनों को खारिज करने में सत्य था।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

18. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, अपील सफल होती है और इसके लिए अनुमति दी जाती है। आक्षेपित आदेश को अपास्त किये गए हैं। प्रत्यर्थागण (आरोपी व्यक्तियों) द्वारा दायर जमानत आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं।

19. इसके परिणामस्वरूप, सभी अपीलों में प्रत्यर्थागण (आरोपी व्यक्तियों) को परीक्षण के तहत हिरासत में लिए जाने के लिए संबंधित सत्र न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

20. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि सत्र न्यायाधीश इस आदेश में किए गए किसी भी अवलोकन से प्रभावित हुए बिना अपनी योग्यता के आधार पर विधि के अनुसार सख्ती से मुकदमे का फैसला करेंगे।

.....न्यायमूर्ति,

[अभय मनोहर सप्रे]

.....न्यायमूर्ति,

[इन्दू मलहोत्रा]

नई दिल्ली;
29 जुलाई 2019

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"